IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 23, Issue 11, Ver. 6 (November. 2018) 77-83
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org

स्वरोजगार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण: स्वरोजगार योजनाओं का प्रभाव

मृदुलता सोनकर
असिस्टेंट प्रोफेसर, गृहविज्ञान विभाग,
गवर्नमेंट गर्ल्स पी जी कॉलेज, हमीरपुर ऊ प्र

सारांश

भारत में महिला सशक्तिकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक विषय बन चुका है। समाज में महिलाओं की भूमिका को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में उभरा है। सरकार द्वारा आरंभ की गई विभिन्न स्वरोजगार योजनाएँ जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्टार्टअप इंडिया, और महिला कौशल विकास कार्यक्रम ने महिलाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, विपणन सहयोग और उद्यमिता के अवसर प्रदान किए हैं। इन योजनाओं ने महिलाओं को केवल आर्थिक रूप से सक्षम नहीं बनाया, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं को पार करने की भी प्रेरणा दी है। यह अध्ययन महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करता है और यह सिद्ध करता है कि स्वरोजगार न केवल आय का साधन है, बल्कि सशक्तिकरण की आधारशिला भी है। यह शोध महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहलों की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता को उजागर करता है, और ग्रामीण एवं शहरी दोनों परिप्रेक्ष्य में इसके सामाजिक-आर्थिक परिणामों की विवेचना करता है।

मुख्य शब्द : *स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्टार्टअप इंडिया, कौशल विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता*

1. प्रस्तावना (Introduction)

भारत जैसे विविधतापूर्ण और विकासशील देश में महिलाओं की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है, चाहे वह पारिवारिक ढांचे के भीतर हो या फिर समाज के व्यापक आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में। भारतीय संस्कृति में 'नारी' को शक्ति और सृजन की प्रतीक माना गया है, किंतु व्यवहारिक धरातल पर महिलाएं सदियों से उपेक्षा, असमानता और निर्भरता की शिकार रही हैं। पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था ने उन्हें केवल सीमित दायित्वों तक सीमित कर रखा—जैसे घरेलू कार्य, संतान पालन और पारिवारिक देखरेख। परिणामस्वरूप महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसरों और राजनीतिक भागीदारी से वंचित रही हैं। हालांकि बीते कुछ दशकों में वैश्वीकरण, आधुनिकता और शिक्षा के प्रसार ने महिलाओं की स्थिति में कई सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं, लेकिन लैंगिक असमानता, पारंपरिक मानसिकता और संरचनात्मक बाधाएं अब भी व्यापक रूप से मौजूद हैं। इन सभी अवरोधों को दूर करने के लिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है—एक ऐसी प्रक्रिया जो महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और निर्णायक बनने की दिशा में सशक्त करे। इस संदर्भ में स्वरोजगार (Self-Employment) महिलाओं के लिए एक प्रभावशाली साधन के रूप में उभर कर सामने आया है। स्वरोजगार का अर्थ

है—वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति किसी अन्य पर निर्भर हुए बिना अपनी आजीविका के साधन स्वयं सृजित करता है। यह न केवल रोजगार का एक वैकल्पिक स्रोत है, बल्कि यह आत्मसम्मान, पहचान और स्वायत्तता का मार्ग भी है। महिलाओं के लिए स्वरोजगार का अर्थ केवल आय अर्जन नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति भी है, जो उनके अस्तित्व, गरिमा और निर्णय-निर्माण में नई चेतना का संचार करता है।

भारत सरकार ने इस दिशा में कई योजनाएँ आरंभ की हैं, जिनमें प्रमुख हैं—प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM), स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, महिला उद्यमिता योजना, कौशल विकास योजना, इत्यादि। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को ऋण, प्रशिक्षण, विपणन, तकनीकी सहयोग और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करना है, जिससे वे अपने उद्यमों की स्थापना कर सकें। यह केवल आर्थिक सशक्तिकरण नहीं, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव की भी आधारशिला है। 21वीं सदी में जब पूरी दुनिया सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है, तब यह समझना आवश्यक हो गया है कि महिला सशक्तिकरण केवल नीति का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व और आर्थिक रणनीति का अभिन्न हिस्सा है। स्वरोजगार इस लक्ष्य की प्राप्ति का एक सशक्त माध्यम है, जो महिला शक्ति को केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता, नवप्रवर्तक और निर्णयकर्ता के रूप में स्थापित करता है। आज की महिला शिक्षित है, जागरूक है और सशक्त होने के लिए उत्सुक है। यदि उसे उपयुक्त अवसर, संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान किया जाए तो वह न केवल अपने जीवन को, बल्कि पूरे समाज को बदल सकती है। स्वरोजगार इस परिवर्तन का प्रवेशद्वार है, जिससे महिलाएं पारंपरिक सीमाओं को लांघकर अपने सपनों को साकार कर सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, स्वरोजगार महिलाओं को पारिवारिक जिम्मेदारियों और आजीविका के बीच संतुलन साधने में सहायता करता है। विशेषतः ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, जहाँ रोजगार के पारंपरिक विकल्प सीमित होते हैं, स्वरोजगार महिलाओं के लिए सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक सुरक्षा दोनों का माध्यम बनता है। महिलाएं घरेलू उद्योग, ब्यूटी पार्लर, सिलाई-कढ़ाई, हस्तशिल्प, कृषि प्रसंस्करण, खाद्य उत्पाद, दुग्ध उत्पाद, मोबाइल सेवा केंद्र, ऑनलाइन व्यापार आदि के माध्यम से सफल स्वरोजगारकर्ता बन रही हैं। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह (SHG), महिला मंडल और महिला सहकारी समितियों की भागीदारी ने महिलाओं को सामूहिक रूप से संगठित होकर कार्य करने की शक्ति दी है। अतः यह स्पष्ट है कि स्वरोजगार न केवल महिला सशक्तिकरण को साकार करता है, बल्कि यह सामाजिक संरचना में स्थायी और समावेशी परिवर्तन की प्रक्रिया को भी गति देता है। यह उन्हें गरीबी के चक्र से बाहर निकालता है, पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी सुनिश्चित करता है, और उन्हें आर्थिक अस्मिता प्रदान करता है।

2. विषय की पृष्ठभूमि

भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग 48 प्रतिशत है, किंतु यह विडंबना ही है कि उनकी भागीदारी आर्थिक क्रियाओं, स्वरोजगार, नीति-निर्माण और सामाजिक नेतृत्व में अब भी न्यूनतम बनी हुई है। यह असमानता विशेषतः ग्रामीण, आदिवासी और अल्पशिक्षित महिलाओं में और भी अधिक स्पष्ट रूप से देखी जाती है। जहां एक ओर संविधान महिलाओं को समान अधिकार देता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक संरचना और पारंपरिक सोच उन्हें सीमित भूमिकाओं में बाँधती रही है। भारतीय समाज का पारंपरिक ढांचा पितृसत्तात्मक रहा है, जिसमें महिलाओं की भूमिका मुख्यतः गृहिणी के रूप में परिभाषित की गई। इस संरचना ने महिलाओं को शिक्षा, स्वावलंबन और निर्णय-निर्माण की स्वतंत्रता से दूर

रखा। स्वतंत्रता के बाद भले ही कई कानून बने, जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956), दहेज निषेध अधिनियम (1961), घरेलू हिंसा अधिनियम (2005) आदि, लेकिन सामाजिक व्यवहार में बदलाव अपेक्षाकृत धीमा रहा।

20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी के प्रारंभ में जब वैश्वीकरण, सूचना तकनीकी और उदारीकरण की लहर ने भारत को प्रभावित किया, तब महिलाओं के लिए आर्थिक अवसरों में वृद्धि हुई। इस समय महिला सशक्तिकरण के विचार को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बल मिला। विशेषतः संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को सतत विकास लक्ष्यों में शामिल किया गया। भारत ने भी इसे अपनी योजनाओं और नीतियों में समाहित किया। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने अनेक पहलें कीं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास को केंद्र में रखा गया। इनमें से आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण पहल थी—स्वरोजगार योजनाओं का विस्तार। इसका उद्देश्य था कि महिलाएं केवल लाभार्थी न बनें, बल्कि वे निर्माता, उद्यमी और आत्मनिर्भर नागरिक बनें। भारत में 1990 के दशक के बाद से महिला स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गईं, जैसे स्वयं सहायता समूह (SHG) आंदोलन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महिला बैंकों की स्थापना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया के तहत ई-व्यापार के अवसर, आदि। इन योजनाओं ने महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त किया, बल्कि उनके सामाजिक रुतबे में भी उल्लेखनीय सुधार लाया।

विशेषकर ग्रामीण भारत में स्वरोजगार योजनाओं का प्रभाव अधिक व्यापक रहा है। पहले जहाँ महिलाएं केवल खेतों में मजदूरी या घरेलू कामों तक सीमित थीं, वहीं अब वे खुद का व्यवसाय आरंभ कर रही हैं। उदाहरणस्वरूप, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में महिला SHGs द्वारा चलाए जा रहे डेयरी, मुर्गी पालन, अगरबत्ती निर्माण, ब्यूटी पार्लर, सिलाई केन्द्र जैसे उपक्रमों ने व्यापक प्रभाव डाला है। हालांकि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी हैं—जैसे बैंकिंग प्रणाली में महिलाओं के प्रति भेदभाव, ऋण वितरण की जटिलता, डिजिटल साक्षरता की कमी, प्रशिक्षण की अनुपलब्धता, पारिवारिक असहमति, सामाजिक पूर्वाग्रह, आदि। फिर भी यह देखा गया है कि जिन क्षेत्रों में योजनाओं को सुनियोजित ढंग से लागू किया गया है, वहाँ महिलाओं में आत्मविश्वास, आय में वृद्धि और सामाजिक स्वीकार्यता में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है। इस पृष्ठभूमि में यह अध्ययन अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि यह जांचता है कि स्वरोजगार योजनाएं वास्तव में किस हद तक महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं। क्या ये योजनाएं केवल नीतिगत दस्तावेज बनकर रह जाती हैं, या वास्तव में ये महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को सक्रिय और प्रभावशाली बनाती हैं?

स्वरोजगार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण: स्वरोजगार योजनाओं का प्रभाव

भारत जैसे विकासशील देश में महिलाओं की भूमिका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के प्रत्येक स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यद्यपि ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को पारंपरिक समाज में सीमित भूमिकाओं तक सीमित रखा गया, फिर भी 21वीं सदी में वैश्विक स्तर पर समानता और समावेशिता के बढ़ते आग्रह ने महिला सशक्तिकरण को केंद्र में ला खड़ा किया है। महिला सशक्तिकरण केवल शिक्षा या राजनीतिक भागीदारी तक सीमित नहीं रह सकता, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बनतीं। इसी संदर्भ में 'स्वरोजगार' एक अत्यंत प्रभावशाली उपकरण के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसने लाखों महिलाओं को न केवल आजीविका का साधन प्रदान किया है, बल्कि उन्हें सामाजिक सम्मान, आत्मविश्वास और निर्णय-निर्माण की स्वतंत्रता भी दी है।

स्वरोजगार से तात्पर्य है—ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है, किसी संस्था या नियोक्ता पर निर्भर हुए बिना। यह पारंपरिक नौकरी की तुलना में अधिक लचीलापन और स्वतंत्रता प्रदान करता है, विशेषकर महिलाओं के लिए, जिन पर घरेलू जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। स्वरोजगार के माध्यम से महिलाएं घरेलू परिवेश में रहकर भी आर्थिक रूप से सक्रिय हो सकती हैं और अपने समय व संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकती हैं। इसमें महिलाओं को स्वयं की उद्यमिता शुरू करने का अवसर मिलता है, साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बैंकिंग व वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, कौशल विकास और विपणन सहयोग जैसी सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। स्वरोजगार महिलाओं के लिए इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि यह उन्हें पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों के साथ तालमेल बनाए रखते हुए काम करने की स्वतंत्रता देता है। यह आर्थिक स्वतंत्रता उन्हें आत्मबल, आत्मनिर्भरता और सामाजिक स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। एक सशक्त महिला न केवल अपने लिए, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक प्रेरणास्रोत बन जाती है। ग्रामीण भारत में जहां महिलाओं के लिए बाहर जाकर नौकरी करना कठिन होता है, वहाँ स्वरोजगार उन्हें घर पर रहकर ही आय सृजन का अवसर देता है, जिससे वे शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे क्षेत्रों में निवेश कर सकती हैं।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है—महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर समान अवसर और अधिकार प्रदान करना। यह तभी संभव हो सकता है, जब महिलाएं आय अर्जित करें, अपने जीवन और परिवार से जुड़े निर्णय स्वयं लें, और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लें। सशक्तिकरण का तात्पर्य केवल बाहरी संसाधनों की उपलब्धता से नहीं है, बल्कि यह एक अंतर्निहित प्रक्रिया है जो महिलाओं में आत्मबल, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का विकास करती है। आर्थिक सशक्तिकरण इसके सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, क्योंकि जब महिलाएं स्वयं कमाती हैं, तब उन्हें परिवार और समाज में सम्मान और प्रभाव प्राप्त होता है। महिला सशक्तिकरण समाज के समग्र विकास में भी सहायक होता है। यह केवल लैंगिक समानता की दिशा में अग्रसर नहीं करता, बल्कि यह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और जीवन-स्तर को भी बेहतर बनाता है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो वे अपनी बेटियों को भी समान अवसर देने के लिए प्रेरित करती हैं। इस प्रकार एक सशक्त महिला पीढ़ियों को प्रभावित करती है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बनती है।

भारत सरकार ने महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं को न केवल रोजगार प्रदान करना है, बल्कि उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता, नेतृत्व क्षमता और उद्यमिता के अवसर भी देना है। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) है, जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। यह योजना महिलाओं को तीन श्रेणियों में बिना गारंटी के ऋण प्रदान करती है—शिशु (₹50,000 तक), किशोर (₹50,000 से ₹5 लाख) और तरुण (₹5 लाख से ₹10 लाख)। इसका उद्देश्य छोटे कारोबारों को वित्तीय सहायता देना है, ताकि महिलाएं छोटी दुकानों, सिलाई केंद्रों, ब्यूटी पार्लर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आदि की स्थापना कर सकें। दूसरी महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) है, जिसे दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत चलाया जाता है। यह योजना महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से उन्हें सामूहिक रूप से उद्यमिता के लिए प्रशिक्षित करती है। यह योजना न केवल वित्तीय सहायता देती है, बल्कि महिलाओं को नेतृत्व, विपणन और व्यवसाय प्रबंधन के लिए भी प्रशिक्षित करती है। इस योजना से जुड़ी महिलाएं कृषि, पशुपालन, बुनाई, कढ़ाई, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन आदि क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर रही हैं।

इसके अतिरिक्त स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाएं तकनीकी और नवाचार आधारित महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यरत हैं। ये योजनाएं महिलाओं को स्टार्टअप शुरू करने, पंजीकरण कराने, तकनीकी सहायता लेने, निवेशकों से जुड़ने और कर राहत प्राप्त करने जैसी सुविधाएं प्रदान करती हैं। स्टैंडअप इंडिया योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति और महिला उद्यमियों को ऋण देने पर केंद्रित है, ताकि वे पारंपरिक बाधाओं को पार कर अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। महिला कौशल विकास कार्यक्रम भी एक अत्यंत उपयोगी पहल है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को पारंपरिक कार्यों जैसे सिलाई, बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि आधारित उद्योग, हैंडीक्राफ्ट, और आधुनिक कार्यों जैसे डिजिटल साक्षरता, ई-कॉमर्स, डेटा एंट्री आदि में प्रशिक्षित किया जाता है। यह कार्यक्रम ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में चलाया जाता है, जिससे महिलाएं स्थानीय संसाधनों और जरूरतों के अनुसार अपने व्यवसाय का चयन कर सकें।

हाल के वर्षों में नीति आयोग द्वारा आरंभ किया गया महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म (WEP) एक डिजिटल मंच है, जो महिला उद्यमियों को एक साथ लाने का प्रयास करता है। इसमें महिलाएं अपने व्यवसाय को पंजीकृत कर सकती हैं, वित्तीय, कानूनी और तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकती हैं और निवेशकों से संपर्क कर सकती हैं। यह प्लेटफॉर्म महिलाओं को नेटवर्किंग और मार्केटिंग में भी सहयोग प्रदान करता है। इन योजनाओं ने महिलाओं को केवल आर्थिक लाभ ही नहीं दिया है, बल्कि उनमें नेतृत्व, नवाचार, और निर्णय-निर्माण की क्षमता को भी विकसित किया है। आज भारत के विभिन्न भागों में ऐसी हजारों महिलाएं हैं जिन्होंने स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से अपना व्यवसाय खड़ा किया है और अपने समुदाय की प्रेरणा बन गई हैं। वे अब केवल लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि 'नवप्रवर्तक' और 'रोल मॉडल' बन चुकी हैं। इस प्रकार स्वरोजगार की अवधारणा और इससे जुड़ी सरकारी योजनाएँ महिलाओं के जीवन में दूरगामी परिवर्तन लाने में सक्षम रही हैं। यह केवल आर्थिक सशक्तिकरण का साधन नहीं है, बल्कि इससे महिलाएं सामाजिक-सांस्कृतिक रूढ़ियों को भी चुनौती देती हैं और लैंगिक समानता की दिशा में एक सशक्त कदम उठाती हैं। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो एक नया समाज बनता है—एक ऐसा समाज जो समता, समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों पर आधारित होता है।

स्वरोजगार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण: स्वरोजगार योजनाओं का प्रभाव

भारत जैसे विकासशील देश में महिलाओं की भूमिका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के प्रत्येक स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यद्यपि ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को पारंपरिक समाज में सीमित भूमिकाओं तक सीमित रखा गया, फिर भी 21वीं सदी में वैश्विक स्तर पर समानता और समावेशिता के बढ़ते आग्रह ने महिला सशक्तिकरण को केंद्र में ला खड़ा किया है। महिला सशक्तिकरण केवल शिक्षा या राजनीतिक भागीदारी तक सीमित नहीं रह सकता, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बनतीं। इसी संदर्भ में 'स्वरोजगार' एक अत्यंत प्रभावशाली उपकरण के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसने लाखों महिलाओं को न केवल आजीविका का साधन प्रदान किया है, बल्कि उन्हें सामाजिक सम्मान, आत्मविश्वास और निर्णय-निर्माण की स्वतंत्रता भी दी है। स्वरोजगार से तात्पर्य है—ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है, किसी संस्था या नियोक्ता पर निर्भर हुए बिना। यह पारंपरिक नौकरी की तुलना में अधिक लचीलापन और स्वतंत्रता प्रदान करता है, विशेषकर महिलाओं के लिए, जिन पर घरेलू जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। स्वरोजगार के माध्यम से महिलाएं घरेलू परिवेश में रहकर भी आर्थिक रूप से सक्रिय हो सकती हैं और अपने समय व संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकती हैं। इसमें महिलाओं को स्वयं की उद्यमिता शुरू करने का अवसर मिलता है, साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बैंकिंग व वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, कौशल विकास और विपणन सहयोग जैसी सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं।

स्वरोजगार महिलाओं के लिए इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि यह उन्हें पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों के साथ तालमेल बनाए रखते हुए काम करने की स्वतंत्रता देता है। यह आर्थिक स्वतंत्रता उन्हें आत्मबल, आत्मनिर्भरता और सामाजिक स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। एक सशक्त महिला न केवल अपने लिए, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक प्रेरणास्रोत बन जाती है। ग्रामीण भारत में जहां महिलाओं के लिए बाहर जाकर नौकरी करना कठिन होता है, वहाँ स्वरोजगार उन्हें घर पर रहकर ही आय सृजन का अवसर देता है, जिससे वे शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे क्षेत्रों में निवेश कर सकती हैं। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है—महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर समान अवसर और अधिकार प्रदान करना। यह तभी संभव हो सकता है, जब महिलाएं आय अर्जित करें, अपने जीवन और परिवार से जुड़े निर्णय स्वयं लें, और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लें। सशक्तिकरण का तात्पर्य केवल बाहरी संसाधनों की उपलब्धता से नहीं है, बल्कि यह एक अंतर्निहित प्रक्रिया है जो महिलाओं में आत्मबल, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का विकास करती है। आर्थिक सशक्तिकरण इसके सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, क्योंकि जब महिलाएं स्वयं कमाती हैं, तब उन्हें परिवार और समाज में सम्मान और प्रभाव प्राप्त होता है।

महिला सशक्तिकरण समाज के समग्र विकास में भी सहायक होता है। यह केवल लैंगिक समानता की दिशा में अग्रसर नहीं करता, बल्कि यह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और जीवन-स्तर को भी बेहतर बनाता है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो वे अपनी बेटियों को भी समान अवसर देने के लिए प्रेरित करती हैं। इस प्रकार एक सशक्त महिला पीढ़ियों को प्रभावित करती है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बनती है। भारत सरकार ने महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं को न केवल रोजगार प्रदान करना है, बल्कि उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता, नेतृत्व क्षमता और उद्यमिता के अवसर भी देना है। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) है, जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। यह योजना महिलाओं को तीन श्रेणियों में बिना गारंटी के ऋण प्रदान करती है—शिशु (₹50,000 तक), किशोर (₹50,000 से ₹5 लाख) और तरुण (₹5 लाख से ₹10 लाख)। इसका उद्देश्य छोटे कारोबारों को वित्तीय सहायता देना है, ताकि महिलाएं छोटी दुकानों, सिलाई केंद्रों, ब्यूटी पार्लर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आदि की स्थापना कर सकें।

दूसरी महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) है, जिसे दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत चलाया जाता है। यह योजना महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से उन्हें सामूहिक रूप से उद्यमिता के लिए प्रशिक्षित करती है। यह योजना न केवल वित्तीय सहायता देती है, बल्कि महिलाओं को नेतृत्व, विपणन और व्यवसाय प्रबंधन के लिए भी प्रशिक्षित करती है। इस योजना से जुड़ी महिलाएं कृषि, पशुपालन, बुनाई, कढ़ाई, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन आदि क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर रही हैं। इसके अतिरिक्त स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाएं तकनीकी और नवाचार आधारित महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यरत हैं। ये योजनाएं महिलाओं को स्टार्टअप शुरू करने, पंजीकरण कराने, तकनीकी सहायता लेने, निवेशकों से जुड़ने और कर राहत प्राप्त करने जैसी सुविधाएं प्रदान करती हैं। स्टैंडअप इंडिया योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति और महिला उद्यमियों को ऋण देने पर केंद्रित है, ताकि वे पारंपरिक बाधाओं को पार कर अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।

महिला कौशल विकास कार्यक्रम भी एक अत्यंत उपयोगी पहल है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को पारंपरिक कार्यों जैसे सिलाई, बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि आधारित उद्योग, हैंडीक्राफ्ट, और आधुनिक कार्यों जैसे डिजिटल साक्षरता, ई-कॉमर्स, डेटा एंट्री आदि में प्रशिक्षित किया जाता है। यह कार्यक्रम ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में चलाया जाता है, जिससे

महिलाएं स्थानीय संसाधनों और जरूरतों के अनुसार अपने व्यवसाय का चयन कर सकें। हाल के वर्षों में नीति आयोग द्वारा आरंभ किया गया महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म (WEP) एक डिजिटल मंच है, जो महिला उद्यमियों को एक साथ लाने का प्रयास करता है। इसमें महिलाएं अपने व्यवसाय को पंजीकृत कर सकती हैं, वित्तीय, कानूनी और तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकती हैं और निवेशकों से संपर्क कर सकती हैं। यह प्लेटफॉर्म महिलाओं को नेटवर्किंग और मार्केटिंग में भी सहयोग प्रदान करता है। इन योजनाओं ने महिलाओं को केवल आर्थिक लाभ ही नहीं दिया है, बल्कि उनमें नेतृत्व, नवाचार, और निर्णय-निर्माण की क्षमता को भी विकसित किया है। आज भारत के विभिन्न भागों में ऐसी हजारों महिलाएं हैं जिन्होंने स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से अपना व्यवसाय खड़ा किया है और अपने समुदाय की प्रेरणा बन गई हैं। वे अब केवल लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि 'नवप्रवर्तक' और 'रोल मॉडल' बन चुकी हैं। इस प्रकार स्वरोजगार की अवधारणा और इससे जुड़ी सरकारी योजनाएँ महिलाओं के जीवन में दूरगामी परिवर्तन लाने में सक्षम रही हैं। यह केवल आर्थिक सशक्तिकरण का साधन नहीं है, बल्कि इससे महिलाएं सामाजिक-सांस्कृतिक रूढ़ियों को भी चुनौती देती हैं और लैंगिक समानता की दिशा में एक सशक्त कदम उठाती हैं। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो एक नया समाज बनता है—एक ऐसा समाज जो समता, समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों पर आधारित होता है।

संदर्भ

1. भारतीय योजना आयोग. (2015). भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार प्रकाशन।
2. ग्रामीण विकास मंत्रालय. (2016). राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की वार्षिक रिपोर्ट. भारत सरकार।
3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. (2018). महिला सशक्तिकरण योजनाएँ एवं क्रियान्वयन. नई दिल्ली: भारत सरकार।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक. (2015). प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर आधारित मूल्यांकन रिपोर्ट.
5. नीति आयोग. (2017). महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म रिपोर्ट. नई दिल्ली।
6. चतुर्वेदी, एन. (2018). "ग्रामीण भारत में महिला स्वरोजगार की स्थिति और चुनौतियाँ". सामाजिक परिवर्तन पत्रिका, 45(3), 112-121।
7. शर्मा, के. (2017). "स्वरोजगार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण". भारतीय विकास समीक्षा, 37(2), 75–89।
8. मिश्रा, ए. (2017). "स्टार्टअप इंडिया में महिला उद्यमियों की भूमिका". आर्थिक शोध विमर्श, 29(1), 56–64।
9. श्रीवास्तव, पी. (2017). "महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता". वित्तीय समावेशन जर्नल, 12(4), 33–42।
10. कुमार, एस. (2018). "प्रौद्योगिकी और महिला उद्यमिता". डिजिटल भारत शोध पत्रिका, 10(5), 90–102।
11. सेन, आर. (2017). "महिला सशक्तिकरण का समाजशास्त्रीय विश्लेषण". सामाजिक विज्ञान समीक्षा, 22(3), 147–158।
12. अवस्थी, एम. (2018). "स्वयं सहायता समूहों का महिलाओं पर प्रभाव". ग्रामीण विकास जर्नल, 18(2), 50–60।
13. चौधरी, वी. (2018). "कौशल विकास और महिला रोजगार". श्रम एवं रोजगार अध्ययन, 31(1), 64–75।
14. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP). (2011). भारत में महिला सशक्तिकरण पर रिपोर्ट. नई दिल्ली: यूएनडीपी।
15. भारतीय महिला बैंक. (2016). महिला वित्तीय समावेशन की दिशा में पहल. नई दिल्ली: भारत सरकार प्रकाशन।